न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **मोहन लाल (आर.जे.एस.)**

प्रकरण संख्या – **52/2018 (367/2025)**

CIS Registration No. – **Cr. Reg. Case/52/2018**

सी.एन.आर नंबर – **RJJH0C0001382018**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – **249/2017 पुलिस थाना, चिड़ावा**

अपराध अंतर्गत धारा – **498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता**

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	ममता पत्नी मयंक, पुत्री विनोद कुमार, निवासी राजोरी गार्डन, शिवाजी एन्क्लेव, ग्राउण्ड फलोर, प्लाट नंबर 77 नई दिल्ली हाल निवासी वार्ड नंबर 3, कांगडा कॉलोनी, चिडावा जिला झुंझुनू (राजस्थान)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	मंयक पुत्र सतीश कुमार उम्र 35 साल, निवासी पश्चिम विहार बीजी 7 हाउस नंबर 65 सैकण्ड फलोर थाना पश्चिम विहार दिल्ली
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री विकास कुमार खरडिया

B

अपराध की दिनांक	22.11.2015 के पश्चात समय–समय पर
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	18.07.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	02.02.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.03.2018
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	06.03.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	––
निर्णय दिनांक	12.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

01.	मंयक	498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान–

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	ममता	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 2	शारदा	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 3	रिद्धकरण	पंचायती गवाह
पी.डब्ल्यू 4	रामप्रताप सिंह	पुलिस गवाह, चार्जशीट पेश करने का गवाह
पी.डब्ल्यू 5	संतरा देवी	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	कैलाशचन्द्र	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 7	लक्ष्मणराम	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 8	रणजीत सिंह	पुलिस गवाह, अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 9	किशनलाल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 10	दयाशंकर	अन्य गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	फर्द जप्ती दहेज सामान

04	प्रदर्श पी 04	पुलिस बयान संतरा देवी
05	प्रदर्श पी 05	पुलिस बयान लक्ष्मण राम
06	प्रदर्श पी 06	नोटिस धारा 41(ए)(1) सीआरपीसी मयंक
07	प्रदर्श पी 06	पुलिस बयान ममता
08	प्रदर्श पी 07	पुलिस बयान विनोद कुमार
09	प्रदर्श पी 08	पुलिस बयान शारदा देवी
10	प्रदर्श पी 09	पुलिस बयान रिद्धकरण

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
		––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

निर्णय **दिनांक 12.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया ममता ने थानाधिकारी, पुलिस थाना चिडावा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी 1) इस आशय की पेश की, कि प्रार्थिया का विवाह दिनाक 22.11.2015 को मंयक पुत्र सतीश के साथ हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों एवं सप्तपदी के साथ पाणिग्रहण संस्कार उनके समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। प्रार्थिया के पिताजी पिछले कई वर्षो दुबई में रहकर उसकी शादी के लिये काम कमाई कर रहे है। उसकी शादी का अधिकांश सामान दुबई से ही लाये। प्रार्थिया को उसके परिवारजनों ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में स्त्रीधन के रुप में दहेज दिया, जो निम्न रुप से है एक मोटर साईकिल (हीरो आईस्मार्ट), सोने के आभूषण सोने का हार (23.820 ग्राम), दो जोड़ी कान के झुमके (11.300 ग्राम), कानों की कनौती (2) ग्राम), चार सोने की चूंड़िया (41 ग्राम), नाक की नथ (5.30 ग्राम), माथे का मांग टिका (5.50 ग्राम), छह सोने की अंगूठिया (52 ग्राम), कमर की तागड़ी (45 ग्राम), बाजूबंद (40 ग्राम), सोने की चैन (2 ग्राम), सास के लिये सोने का हार (19 ग्राम), 3 जोड़ी नाक की लौंग (6 ग्राम) तथा चांदी के आभूषण– 2 जोड़ी पायल (275 ग्राम), 4 जोड़ी पैर की बिच्छिया, चैन, चांदी की थाली,

गिलास, नारीयल, 180 चांदी के सिक्के, चौपड़ा, चम्मच, प्याला (करीबन 1.500 किलो) इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक सामान फ्रीज, वाशिंग मशीन, एलईडी, कूलर, प्रेस, कैमरा, डीवीडी, होम थियेटर, ज्यूसर मिक्सर, इमरजेन्सी लाईट, केतली थर्मस, घरेलू सामान डबल बैड, तीन सोफा सेट, टी टेबल, आलमारी, ड्रेसिंग टेबल, स्टूल, डल्लफ के गद्दे, तकिया, बैडशीट, विदेशी कम्बल, सूटकेश, लोहे की संदूक, 4 हाथघड़ी, 4 दीवार घड़ी, बर्तन 33 थाली, 2 बड़ी परात, 6 प्याले, 6 चम्मच, 20 गिलास, 3 टोपिया, 1 कूकर, 1 बड़ी कडाही, 5 बाल्टी, चकला बेलन सैट, 10 स्टील के डिब्बे, 10 बड़े चम्मचे, गैस चूल्हा मय गैस सिलेण्डर, 5 कासी की थाली, 1 डिनर सैट स्टील इसके अलावा पहनने के कपड़े:– 400 साड़िया, 100 सूट तथा नकद रुपये 5,31,000/– नकद कचौला के नकद, 21,000/–रुपये तौरण पर, 31,000/–रुपये दादी ससुर को, 21,000/–रुपये ससुर को, 11,000/–रुपये दुल्हे को, 5100/–रुपये समधी को, 1100/– दूल्हे को, 31,000/–रुपये मुकलावे को, 11,000/–रुपये अन्य वर पक्ष के रिश्तेदारों को दिये। उपरोक्त दान दहेज मय स्त्रीधन देकर उसे शादी के साथ ही मुकलावा (गौणा) करके घर से विदा देकर वह अपने पति के साथ उनके निवास स्थान पर दाम्पत्य जीवन के कर्तव्यों को वहन करने के लिये साथ रहने लगी। कुछ दिन तक तो उसके सास–ससुर, देवर, पति एवं ननद–ननदोई का व्यवहार ठीक–ठाक रहा। परन्तु कुछ दिनों बाद दहेज में दी गई मोटर साईकिल को बेच दिया। उसके पति उससे बातचीत करने में रूचि नहीं लेते और ना ही उससे पति पत्नि के बीच के शारीरिक सम्बन्ध बनाते। कुछ महिनों तक उसे उसके पति का व्यवहार समझ नहीं आया, परन्तु उसके सास–ससुर, देवर, ननद–ननदोई ने कहा कि तेरा बाप तो विदेश में अथाह कमाई करता है, उसने उनको नकद रुपये भी उनकी हैसियत से कम दिये है और कार देने की बात कर मोटरसाईकिल दहेज में दे दी, उसे यदि इस घर में रहना है तो 20,00,000/–रुपये नकद और एक कार उन्हें लाकर देनी होगी। इस पर प्रार्थिया ने कहा कि उसका पति पति धर्म का पालन ही नहीं करता है और आज तक वह शादी के बाद से ही कुंवारी की कुवारी ही उनके घर में रह रही है। इतना सुनते ही सभी ने मिलकर उसके साथ अमानवीय कृत्य करते हुये उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से उसका गला दबाया और उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसे डराया–धमकाया गया। उसके पीने के पानी में जबरदस्ती कैमिकल मिलाकर पिला दिया,जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। **उसे शादी के बाद से कभी भी पीहर जाने नहीं दिया तथा ना ही मोबाईल से बात करने देते थे।** उसके बड़े भाई दयाशंकर 13 अगस्त 2016 को दुबई से वापस भारत आये तो एयरपोर्ट से उससे अचानक मिलने उसके ससुराल आ गये। उनको देखकर गले मिलकर वह रोने लग गई तथा आपबीती बताई। इस पर उसके बड़े भाई ने उसके सास–ससुर, पति, देवर, ननद–ननदोई से बातचीत की, परन्तु उक्त लोगों ने उसके भाई के साथ गाली–गलौच एवं मारपीट की, जिस पर उसका

बड़े भाई उसे अपने साथ लेकर चिड़ावा आ गये। चिड़ावा आने पर उसका उपचार चिड़ावा जिस पर दिनांक 10.11.2016 को उसका भाई, उसकी माँ तथा रिश्तेदार उसके ससुराल आयेअस्पताल में करवाया, तथा 2 माह के उपचार से वह स्वस्थ हो गई। 2016 में करवाचौथ के दिन उसका पति मंयक, ससुर, ननदोई उसके पीहर आये तथा अपने किये गये व्यवहार की माफी मांगते हुये भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करने का आश्वासन दिया। जिस पर उसके परिवारजनों ने उसे ससुराल विदा कर दिया। कुछ दिन तो उसके ससुराल वालों का स्वभाव उसके प्रति ठीक रहा किन्तु कुछ दिन बाद ही वापस वही दहेज की मांग करने लगे तथा उसके साथ अनैतिक व्यवहार करने की नियत से मारपीट करने लगे। उसने मौका देखकर अपने भाई दयाशंकर को सूचना दी, जिस पर दिनांक 10.11.2016 को उसका भाई, उसकी माँ तथा रिश्तेदार उसके ससुराल आये तथा उसके पति, सास–ससुर, देवर, ननद–ननदोई को समझाया तथा अपनी हैसियत का हवाला देते हुये और दान दहेज देने में असमर्थता जताई। जिस पर उक्त लोग एकदम से क्रोधित हो गये तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये और उसे व उसके परिवारजनो से मारपीट करते हुये धक्का देकर घर से निकाल दिया। तब से लेकर आज तक वह अपने पीहर चिड़ावा में अपने माता–पिता, भाईयों पर आश्रित रह रही है। दिनांक 10.07.2017 को उसे लेने के लिये उसके पति, सास–ससुर, देवर, ननद–ननदोई चिड़ावा आये, जिस पर उसने जाने से मना कर दिया और कहाँ कि उसका बेटा तो उसके साथ पति धर्म का पालन करने का इच्छुक नहीं है और ना ही उसके साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना चाहता है। इतना सुनकर उसके ससुराल वाले क्रोधित हो गये तथा उसके साथ मारपीट करने लगे, जिस पर उसके परिवारजनों ने बीच बचाव कर उसकी जान बचाई, आादि–आदि। जिस पर पुलिस थाना चिडावा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 249/2017 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुई तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त मंयक के विरूद्ध आरोप पत्र अं. धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिडावा में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. कालांतर में इस न्यायालय के नव सृजन उपरांत हस्तगत प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, झुंझुनू के आदेश क्रमांक 184 दिनांकित 24.02.2025 के द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, चिड़ावा के न्यायालय से अंतरित होकर दिनांक 19.03.2025 को प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या–2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए बाद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर कर कथन किया कि वह निर्दोष है। उसने परिवादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर कभी मारपीट नहीं की, ना ही उसका स्त्रीधन देने से कभी इंकार किया है। उसे झूठा फंसाया गया है।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित परिवादिया ममता तथा उसकी माता शारदा देवी व भाई दयाशंकर तथा मामा रिद्धकरण ने घटना की पूर्णतया ताईद करते हुये यह स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त व उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा परिवादिया से एक कार व बीस लाख रूपयो की मांग दहेज के रूप में की गयी तथा मांग पुरी नहीं किये जाने पर उसके साथ मारपीट की गयी व उसे केमिकल पिलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया तथा पंचायत में परिवादिया को ले जाने व उसका स्त्रीधन लौटाने से साफ इंकार कर दिया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा पूर्णतया अखण्डित रही है और अन्य कोई महत्वपूर्ण व तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। केवल मात्र अभियुक्त पक्ष के तथा स्वतंत्र गवाहो के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन के मामले को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। अभियोजन ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को पूर्णतः सदेह से परे साबित किया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष ने तर्क दिये कि परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों से अलग तथ्य जोड़ते हुये अपने अभिवचनों में अभिवृद्धि की गयी है। परिवादिया के साथ मारपीट किये जाने व उसे केमिकल पिलाये जाने के संबंध में कोई भी शिकायत परिवादिया द्वारा या उसके परिवारजन द्वारा किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। परिवादिया अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार करती है कि

अभियुक्त मयंक की बहन की शादी उसकी शादी से पहले हो चुकी थी और मयंक का बहनोई उसके पडौस में ही अलग जगह पर रहता है, मयंक के घर पर नहीं रहता है। अभियुक्त या उसके परिवार द्वारा शादी से पहले सगाई के दौरान व शादी में किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग किये जाने से भी परिवादिया व उसके परिवारजन इंकार करते है। परिवादी पक्ष द्वारा दिये गये स्त्रीधन के संबंध में किसी प्रकार का कोई बिल इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये है और कचौले की राशि के संबंध में परिवादिया की माता व उसके भाई तथा मामा अलग–अलग विरोधाभासी कथन करते है। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पर जिस मोटरसाईकिल को शादी के तुरन्त बाद बेचने का आरोप लगाया गया है वह अभियुक्त के नाम होने का तथ्य साक्षीगण स्वीकार करते है और यह मोटरसाईकिल परिवादिया को स्त्रीधन के रूप में दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिवादिया यह स्वीकार करती है कि उसने मारपीट के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी और प्रदर्श पी 1 में उसने अपने साथ मारपीट होने के संबंध में कोई अंकन नहीं किया है तथा अपनी सास को केमिकल मिलाते हुये नहीं देखना कथित किया है। परिवादिया ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2016 या 2017 में अपने पीहर आयी थी और उसका 6–7 माह तक इलाज चला था। उसके पश्चात वह अपने पीहर में ही है और उसका उसके ससुराल वालो से कोई सम्पर्क नहीं हुआ। जबकि परिवादिया द्वारा अपने परिवाद में केवल मात्र दो माह ईलाज चलने व ईलाज के बाद करवा चौथ पर अपने ससुराल अपने पति के साथ जाना कथित किया है ओर उसके बाद उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग किये जाने पर अपने परिवार वालो के साथ पीहर में आने व परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसके ससुराल वालो का उसके पीहर में आकर उसे ले जाने के लिए आने पर उनके साथ जाने से इंकार करने के कथन किये है। इस प्रकार परिवादिया द्वारा अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों के पूर्णतया विरोधाभासी कथन किये है तथा अन्य साक्षीगण परिवादिया की माता शारदा देवी व भाई दयाशंकर के द्वारा भी इस तथ्यों का कोई अनुसमर्थन नहीं किया गया है। परिवादिया की माता ने परिवादिया का शादी के बाद गणगौर पर अपने पीहर आना बताया है, जबकि परिवादिया स्वयं को शादी के बाद अभियुक्त द्वारा पीहर में नहीं आने देने का कथन करती है। परिवादिया ने अपने परिवाद में व साक्ष्य के दौरान अपने भाई दयाशंकर के साथ वर्ष 2016 में, जब वह उसे लेने गया तब, मारपीट होना कथित करती है। जबकि दयाशंकर ने ममता की स्थिति को देखते हुये साथ लेकर आना बताता है और अपने साथ मारपीट किये जाने का कोई कथन नहीं करता है। इस प्रकार परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगये गये आरोपो के संबंध में विरोधाभासी कथन किये गये है और पंचायत के गवाह रिद्धकरण जो कि परिवादिया का मामा है, ने शादी के करीब 10–15 दिन बाद ही अभियुक्त द्वारा परिवादिया को दहेज के लिये तंग परेशान करने की बात परिवादी की माता द्वारा उसे बताये जाने का कथन किया है, जबकि परिवादिया शादी के कई महिनो बाद उसे ताने देने

व पंचायत वर्ष 2016 में नवम्बर महीने में होने का कथन करती है। पंचायत के साक्षीगण लक्ष्मणराम व किशनलाल इस बात को स्वीकार करते है कि जब अभियुक्त व उसके परिवार जन परिवादिया लेने उसके पीहर गये तो परिवादिया द्वारा मयंक के दूसरी लड़कियो से संबंध होने और उसे प्रताड़ित करने के कारण मयंक के साथ नहीं रहना जाहिर किया था। इन गवाहन ने दहेज की मांग को लेकर मयंक व मयंक के परिवार वालो द्वारा मारपीट किये जाने की बात से स्पष्टतः इंकार किया गया है। गवाह किशनलाल ने यह कथन किये है कि मीटिंग के दौरान न तो ममता ने अपना स्त्रीधन मांगा और ना ही मयंक व उसके परिवार वालो ने स्त्रीधन देने से कोई इंकारी की। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक न्यास भंग का भी कोई मामला बनना नहीं पाया जाता है और परिवादिया के अभियुक्त के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण उसके घर में रहना नहीं चाहती है और लंबे समय से अपने पीहर में रह रही है और पीहर में आने के करीब 7–8 माह बाद सोच समझकर अभियुक्त के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त ने कभी भी परिवादिया को दहेज की मांग के लिये तंग परेशान या उसके साथ मारपीट नहीं की गयी है, ना ही उसका स्त्रीधन देने से कोई इंकारी की है। दौराने अनुसंधान परिवादिया ने अपना स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है। अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान से धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण व तात्विक विरोधाभास है। अभियोजन अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

01. क्या अभियुक्त ने अपनी पत्नी परिवादिया ममता के साथ विवाह दिनांक 22.11.2015 से 10.11.2016 की अवधि में समय–समय पर परिवादिया के ससुराल व अन्य स्थान पर परिवादिया से दहेज के रूप में बीस लाख रूपये व एक कार की मांग की पूर्ति के लिए परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर व मारपीट कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा परिवादिया का स्त्रीधन जो उसके पास न्यस्त था, परिवादिया के मांगने पर उसे न देकर बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया ?

02. यदि हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

9. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन की ओर से अभियोजन कहानी की

ताईदी हेतु कुल 10 गवाह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वंय परिवादिया/आहता **ममता ने पी.डब्ल्यू 01** के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों के समर्थन में यह कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 22.11.2015 को मयंक ढेंढवाल निवासी दिल्ली के साथ चिड़ावा में हुई थी। उसकी शादी में उसके पिताजी ने स्त्रीधन का सामान, कचोले में 1,31,000 रूपये नगद, इसके अलावा और भी नगद पैसे व एक स्पेलन्डर बाईक दी थी। जब वह ससुराल गई तब तीन चार दिन तक उसके पति व ससुराल वालो ने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया। किन्तु जब वह पगफेरे के लिये अपने पीहर आकर वापस ससुराल गई तब इन लोगो ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये लोग उससे दहेज की मांग करने लगे। ये लोग कहने लगे कि उसके घर वालो ने शादी में दहेज उनकी हैसियत के अनुसार नहीं दिया, वह अपने घर से एक कार व बीस लाख रूपये लेकर आए नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। उसको ये लोग ढंग से खाना भी नहीं देते थे। उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करते थे तथा ये लोग उसे खाने में केमिकल आदि मिलाकर देते थे जिससे उससे इंस्फेक्शन हो गया था। दिनांक 13.08.2016 को उसका भाई दयाशंकर उससे मिलने के लिये उसके ससुराल आया तो उन्होंने उसकी हालत देखी और उसके ससुराल वालो से कहा कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो रखी है तो वे लोग उसके भाई के साथ भी गाली गलौच करने लग गये। उसके भाई के साथ उसके ससुराल वालो में उसके पति मयंक, ससुर, सास व देवर, नन्दोई ने मारपीट करी व गाली गलौच करी तथा कहा कि बीस लाख रूपये और कार हो तो इसे यहां पर छोड़कर जाओ नहीं तो अपने साथ ले जाओ जिस पर उसका भाई उसे अपने साथ पीहर ले आया। तब करीब दो महिने के बाद करवां चौथ पर उसका ननदोई, उसका ससुर व उसका पति उसे लेने के लिये आये और कहा कि दुबारा इसके साथ ऐसा नही करेगें और इन लोगो ने उसके घर वालो से माफी मांगी और उसे अपने साथ ले गये। वहां जाने के के बाद ये लोग एक दो दिन तो सही रहे लेकिन फिर से ये लोग वही दहेज की मांग करने लग गये। जिस पर उसके पिता अपने साथ चार पांच लोगो को लेकर उसके ससुराल आये और तब उसके पिता व उसके साथ आये लोगो के साथ उसके पति, ससुर व देवर ने मारपीट की। जिस पर उसके पिताजी अपने साथ ले आये। तब से वह अपने पीहर ही रह रही है। दिनांक 18.07.2017 को रिपोर्ट पुलिस थाना चिड़ावा पर दर्ज करवाई जो कि प्रदर्श पी 01 है तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, प्रदर्श पी 01 व पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसके भाई के हस्ताक्षर हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन लोगो ने उसका स्त्रीधन का कुछ सामान तो लौटा दिया था लेकिन कुछ सामान व कुछ जेवर, नगद आदि नहीं लौटाये थे। इन लोगो ने उसकी मोटरसाईकिल को भी बेच दी थी, और उसके बदले में दुसरी मोटरसाईकिल लेकर दी थी। जिसके कागजात भी आज तक इन लोगो ने उसे नहीं दिये।

10. **गवाह पी.डब्ल्यू 2 शारदा.** जो कि परिवादिया की माता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बेटी ममता की शादी दिनांक 22.11.2015 को दिल्ली निवासी मंयक के साथ की थी। शादी में उन्होंनें उनके सामर्थ्य के अनुसार उनकी बेटी को स्त्रीधन का सामान दिया था, जो कि सारा घरेलू सामान फर्नीचर, बर्तन तथा मोटरसाईकिल व गहने शादी वाले दिन ही मंयक और उसके घरवालो को संभला दिये थे। मंयक ने शादी में दी हुई मोटरसाईकिल को शादी के चार–पाचं दिन बाद ही बेच दिया था। मंयक तथा उसके घरवालो ममता को कम दहेज लाने बाबत ताने देने लगे और कहने लगे कि उसके पिता के पास से बीस लाख रूपये और चार पहिया गाडी लाकर देगी तो ही उसे इस घर में रखेंगे। इस तरह वह ममता को परेशान करने लग गये। **मार्च 2016 में गणगौर पर ममता को ममता का पति, ननद, ननदोई छोडने के लिये उनके घर आये तब ममता ने उन्हें सारी बात बताई** तो उसने उससे कहा कि धीरे–धीरे सब ठीक हो जायेगा और गणगौर पूजने के बाद उसके ससुर और दादी सास के साथ ममता को उसके ससुराल भेज दिया। लेकिन ससुराल जाने के बाद उसका पति व ससुराल वाले उसको परेशान करने लग गये और उसको खाने में केमिकल देने लगे। **अगस्त में उसका बेटा दयाशंकर आया तो वह ममता से मिलने दिल्ली गया तो उस दिन ममता की हालत देखकर उसने पूछा तो ममता के ससुराल वालो ने उसके साथ मारपीट की, तो वह ममता को उनके घर ले आया था। दो तीन महिने बाद जब मंयक और ममता का ससुर उसको लेने आये तो उन्होंने माफी मांगी और कहा कि आईन्दा ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया और ममता को उनके साथ नहीं भेजा।** फिर उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया तब उसके ससुराल वालो ने कुछ सामान लौटाया था, जिसक फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू 10 दयाशंकर,** जो कि परिवादिया का सगा भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वे छः भाई बहिन है। उसकी बहन ममता चौथे नंबर की है। उन्होंने ममता की शादी दिनांक 22.11.2015 को मयंक पुत्र सतीश कुमार निवासी दिल्ली के साथ की थी। शादी चिडावा में ही हुयी थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ–चढकर दान दहेज दिया था। उसकी बहन के ससुराल जाने के तीन चार दिन बाद ही उसके ससुराल वालो ने ममता को शादी में दी गई मोटरसाईकिल बेच दी और ममता का पति व उसके घर वाले ममता को कम दहेज लाने का उल्हाना देने लग गये और कहा कि उसके घर वालो ने अच्छा दान दहेज का सामान नहीं दिया है और उनकी हैसियत के अनुसार शादी नहीं करी है तथा ममता से दहेज में बीस लाख रूपये व एक गाडी की मांग करने के लिये तंग परेशान करने लग गये। **दिनांक 13.08.2016 को वह विदेश से आया था और आकर के ममता से मिलने गया था तो उसने**

देखा कि ममता के ससुराल वाले उसके साथ गलत रूप से व्यवहार कर रहे थे जिस पर उसने ममता को कहा तो ममता ने रोते हुये उसे बताया कि ये लोग दहेज की मांग को लेकर काफी तंग परेशान करते रहते है और उसके साथ ये लोग मारपीट भी करते रहते हैं। जिस पर उसने ममता को ससुराल वालो को इस बात का उलाहना दिया व ममता को अपने साथ चिडावा ले आया। जिस पर वह करीबन दो महीने तक उनके यहां चिड़ावा पर रही। उसके बाद ननदोई व उसके ससुराल पक्ष के कुछ मौजीज लोग उपस्थित आये और आश्वासन दिया कि आईंदा ऐसा दुर्व्यवहार वे ममता के साथ नही करेगें। किंतु कुछ दिन करीबन दो तीन माह तो उसके साथ अच्छे से रहे किंतु फिर वे उसे वही दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने लग गये। **ममता को खाने में केमीकल भी दिया जाता था जिससे उसी हालत काफी बिगड़ गई थी जिस पर एक रोज उसने छिप कर उसे फोन किया और घटना के बारें में बताया जिस पर वे लोग गाड़ी लेकर उसे लेने के लिये दिल्ली गयें। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उसके ससुराल वाले उनके साथ झगड़ा करने लग गये और कहा कि वे इसको नहीं रखेगें, उन्होंने दान दहेज भी अच्छा नहीं दिया यदि आप बीस लाख रूपये व एक गाडी दोगे तो ही वे इसे रखेंगे नहीं तो वे इसे नहीं रखेगे, जिस पर वे ममता को चिडावा लेकर आ गये और उसका चिडावा में ईलाज करवाया।** कुछ समय बाद उसके पिताजी दुबई से छुट्टी आये और वो वह उनके गांव के मौजीज लोगो को लेकर दिल्ली गये उनको समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करी व गाली गलौच करने लगे व उन्हें धक्के मार से घर से बाहर निकाल दिया और फिर वही दहेज की मांग वाली बात कर कहा कि यदि बीस लाख रूपये व एक गाड़ी दोगे तो वे ममता को रखेंगे नहीं तो ममता नही रखेंगे। फिर ममता ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके पुलिस में बयान हुये थे जो कि प्रदर्श पी 07 है।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू 3 रिद्धकरण,** जो कि परिवादिया का मामा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ममता की शादी दिनांक 22.11.2015 को दिल्ली के सतीश के लडके मंयक के साथ हुई थी। तब शादी में वह भी आया था। शादी चिडावा में हुई थी। शादी में ममता के माता पिता ने ममता को स्त्रीधन में सारा सामान दिया था। **करीब 10–15 दिन बाद में ही उसको उसकी बहन शारदा ने बताया कि उसके पास ममता का फोन आया जिसने बताया कि उसे उसका पति मयंक और उसके ससुराल वाले दहेज के लिये परेशान करते है जो कि दहेज में फोर व्हीलर और पांच लाख रूपये नकद की मांग कर रहे है जिस पर वह, उसके जीजाजी व 5–10 आदमी दिल्ली गये और जाकर समझाईश की।** उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है वे आगे से ऐसा नहीं करेगे और वे ममता को लेने गये थे तो उन्होंने ममता को

उनके साथ भेज दिया। ममता को फिर वो अपने साथ ले आये। उनमें से कोई ममता को लेने नहीं आया तब ममता ने यह मुकदमा दर्ज कर दिया।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू 4 रामप्रताप सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.01.2018 को पुलिस थाना चिड़ावा पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज इस प्रकरण के आई ओ ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली उसके समक्ष पेश करी थी। जिस पर उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अनुसंधान से संतुष्ट होते हुये मुलजिम मयंक के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भादस में अपराध प्रमाणित मानते हुये चार्जसीट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करी थी। चार्जसीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

इस गवाह से की गयी **प्रतिपरीक्षा में गवाह** ने इस बात को सही बताया है कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया। उसने प्रकरण में किये गये अनुसंधान की संतुष्टि पर चार्जशीट पेश की थी।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू 5 संतरा देवी** पक्षद्रोही घोषित होते हुये अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ममता कौन है व इसकी शादी कब हुई व इसके साथ क्या हुआ था, उसे नहीं पता।

इस गवाह ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि विनोद उसका देवर लगता है व विनोद की लडकी का नाम ममता है। **इस सुझाव को गवाह ने गलत बताया है कि ममता का पति मंयक इसको दहेज के लिये परेशान करता है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि विनोद के परिवार से उनकी नहीं बनती है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुये। पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का हिस्सा ए से बी व सी से डी गवाह ने पुलिस को नहीं देना बताया है।** इस गवाह ने अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में **इस सुझाव को सही बताया है कि उसके सामने ममता से कोई दहेज की मांग नहीं हुई थी। उसके सामने मयंक ने अपनी पत्नी ममता के साथ मारपीट नहीं की।**

15. **गवाह पी.डब्ल्यू 6 कैलाशचन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह बगड़ का रहने वाला है। सतीश वाल्मीकि उसके भुआ का लड़का है, जिसके दो लड़के व एक लड़की है, लड़के के नाम मयंक है। जिसकी शादी दिनांक 22.11.2015 को चिड़ावा के विनोद जी की लड़की ममता के साथ हुई थी। जिसे विनोद जी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा दान दहेज दिया था। **बाद में ममता व मंयक के आपस में मनमुटाव रहने लग गया था तो जब वे 2017 में समझाने के लिये चिड़ावा आये तब ममता ने बताया था कि मयंक के अन्य लड़कीयो**

से संपर्क है जिसको लेकर वह उसको परेशान करता है, उसके साथ मारपीट करता हैं तथा उसके पास आता नहीं है। इस प्रकार मयंक उसे परेशान करता था। इस बात को लेकर ममता के घर दो तीन बार मीटिंग हुई थी जिस में वह भी शामिल हुआ था। जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।

इस गवाह ने अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में **इस सुझाव को सही बताया है कि उसके सामने मयंक ने ममता से कोई दहेज की मांग नहीं की थी। मंयक अपने गांव से चिडावा ममता को लेने दो तीन बार आया था लेकिन ममता उसके साथ नहीं गयी थी। मंयक के घरवालो ने शादी में आभूषण आदि डाले थे।**

16. **गवाह पी.डब्ल्यू 7 लक्ष्मणराम** ने पक्षद्रोही घोषित होते हुये अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मयंक उसका भानजा है, जिसकी शादी 2015 में ममता के साथ चिडावा में हुई थी। फिर इनकी आपस में अनबन हो गयी थी। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी।

इस गवाह ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **उसके पुलिस में बयान नहीं हुये। पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का हिस्सा ए से बी व सी से डी गवाह ने पुलिस को नहीं देना बताया है। इस सुझाव को गवाह ने गलत बताया है कि मंयक ममता को दहेज के लिये तंग परेशान करता हो।** इस गवाह ने अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में **इस सुझाव को सही बताया है कि मयंक ने ममता से कोई दहेज की मांग नहीं की।**

17. प्रकरण के **अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 8 रणजीत सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद करते हुये बाद अनुसंधान अभियुक्त मंयक के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता में प्रमाणित मानकर पत्रावली रामप्रताप पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने व जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये जाने की साक्ष्य दी है।

इस गवाह ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि प्रकरण में सम्पूण अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया। फिर कहा कि उससे पूर्व महिला थानाधिकारी बनवारीलाल ने अनुसंधान कर कुछ गवाहो के बयान लिये थे। बनवारीलाल द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना था। **गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि लड़की ममता के ससुराल के आस पडौस के व्यक्तियों की साक्ष्य नहीं ली गयी है। सभी गवाहान परिवादी पक्ष व अभियुक्त पक्ष के रिश्तेदार है, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जिसने दहेज की मांग कर क्रूरता किये जाने के तथ्यों की ताईद की हो।**

18. **गवाह पी.डब्ल्यू 9 किशनलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ममता की शादी दिनांक 22.11.2015 को चिडावा में हुई थी। शादी में वह भी शामिल हुआ था। ममता की शादी में उसके माता पिता ने काफी दान दहेज दिया था। **शादी के करीब साल छः महिने बाद ही इनका आपस में विवाद और मनमुटाव रहने लग गया था। बाद उनके बीच मन मुटाव और विवाद को दूर करने के लिए दोनो पक्षो को बैठाकर एक मीटिंग की थी। जिसमे वह भी शामिल हुआ था तब उसने ममता से पूछा था कि वह मंयक के साथ क्यों नहीं रहता चाहती। तब ममता ने उसे बताया कि मंयक दूसरी लडकियो को रखता है और उसे प्रताडित करता है, इसलिए वह नहीं रहना चाहती है। मयंक के पिता सतीश उसकी बहिन के जेठ के लड़के है इस कारण वह मिटींग में शामिल हुआ था।**

इस गवाह ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि उसने मंयक व ममता का आपस में झगडा होते हुये नहीं देखा था। **उसे तो मयंक के पिता ने मीटिंग करने के लिये बुलाया था। मीटिंग में लडकी ममता ने कहा था कि मंयक रात को देर से घर आता है और इसके दूसरी लडकी से संबंध है इस कारण वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि मीटिंग में ममता ने उससे दहेज की मांगकर मयंक व उसके परिवार वालो द्वारा मारपीट करने की बात नहीं बताई थी। मीटिंग के दौरान ना तो ममता ने अपना स्त्रीधन मांगा और ना ही मयंक और उसके परिवार वालो ने स्त्रीधन दने से इंकार किया।**

19. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण व दस्तावेजात का समग्र रूप से अवलोकन करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि परिवादिया ममता के द्वारा इस आधार पर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है कि उसकी शादी दिनांक 22.11.2015 को अभियुक्त के साथ चिड़ावा में हुई थी और शादी में उसके पिताजी ने स्त्रीधन का सामान, कचौले में 1,31,000/– नकद व एक स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल व और भी नकद पैसे दिये थे। उसके पति ने कुछ दिन बाद ही दहेज में दी गयी मोटरसाईकिल को बेच दिया। उसका पति उससे बातचीत करने में कोई रूची नहीं लेता था और ना ही उससे पति पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध बनाता था। शादी के कुछ महिने बाद उसकी सास, ससुर, देवर, ननद, ननदोई ने उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर ताने देते हुये बीस लाख रूपये नकद व एक कार दहेज में लाने की मांग की और अपने साथ अपने पति मयंक द्वारा पति धर्म का निर्वहन नहीं किये जाने की शिकायत करने पर उसके सास, ससुर, देवर, ननद व ननदोई के द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुये मारपीट करने तथा जान से मारने की नियत से गला दबाये जाने और उसे कई दिनो तक भूखा रखे जाने व पति की स्थिति को किसी बताने पर उसे व उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी दी जाने तथा उसे पानी में जबरदस्ती केमिकल मिलाकर पिला दिये जाने से

उसकी तबीयत खराब हो जाने तथा उसे शादी के बाद कभी भी पीहर नहीं जाने देने और मोबाईल से बात नहीं करने देते थे। परिवादिया ने दिनांक 13 अगस्त, 2016 को अपने भाई दयाशंकर के उसके ससुराल आने पर उसे सारी बाते बताये जाने व दयाशंकर के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा गाली गलौच व मारपीट किये जाने पर परिवादिया को लेकर चिड़ावा लेकर आ जाने और चिड़ावा में दो माह तक अस्पताल में ईलाज करवाये जाने के बाद स्वस्थ होने पर करवा चौथ के दिन अपने पति मयंक, ससुर, ननदोई के द्वारा उसे लेने के लिये आने पर उनके साथ ससुराल जाने के कुछ दिन बाद उसके साथ पुनः दहेज की मांग को लेकर क्रुरतापूर्ण व्यवहार किये जाने व उसके साथ अनैतिक व्यवहार किये जाने की नियत से मारपीट किये जाने और इस बात की सूचना अपने भाई दयाशंकर को देने पर दिनांक 10.11.2016 को उसके भाई, मां तथा रिश्तेदारो के उसके ससुराल आकर समझाईस किये जाने पर उन लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने व धक्का देकर बाहर निकाल दिये जाने का कथन करते हुये उनके साथ पीहर आ जाना बताया है व तब से अपने पीहर में ही रहना और दिनांक 10.07.2017 को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लेने आने पर परिवादिया द्वारा अपने पति के द्वारा पति धर्म का पालन करने का इच्छुक नहीं होने व दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं करने के कारण उसके साथ जाने से इंकार करने और इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने के कथन किये गये है।

20. परिवादिया ने अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों के अनुसमर्थन में अपनी साक्ष्य के दौरान यह कथन किया है कि जब वह शादी के तीन चार दिन बाद पगफेरे के लिये अपने पीहर आकर वापस ससुराल गई तब उसके ससुराल के लोगो द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और दहेज की मांग करने लगे। परिवादिया ने यह भी कथन किया है कि उसको वे लोग ढंग से खाना भी नहीं देते थे और नौकर जैसा व्यवहार करते थे तथा ये लोग उसे खाने में केमिकल मिलाकर देते थे जिससे उससे इंस्फेक्शन हो गया था। दिनांक 13.08.2016 को उसका भाई दयाशंकर उससे मिलने के लिये उसके ससुराल आया और उसकी हालत देखी और उसके ससुराल वालो से कहा कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो रखी है तो उन लोगो ने उसके भाई के साथ गाली गलौच व मारपीट करी व गाली गलौच तथा बीस लाख रूपये और कार की मांग पुरी नहीं करने पर अपने साथ ले जाने के लिऐ कहा। जिस पर उसका भाई उसे अपने साथ पीहर ले आया। उसके दो महिने के बाद करवां चौथ पर उसका ननदोई, ससुर व उसका पति उसे लेने के लिये आये और मांफी मांगकर अपने साथ ले गये और कुछ दिन बाद फिर से दहेज की मांग करने लगे। जिस पर उसका पिता अपने साथ चार पांच लोगो को लेकर उसके ससुराल

आया और तब उसके पिता व उसके साथ आये लोगो के साथ उसके पति, ससुर व देवर ने मारपीट की। **जिस पर उसके पिताजी अपने साथ ले आये। तब से वह अपने पीहर ही रह रही है।**

21. इस प्रकार परिवादिया ने अंतिम बार अपने ससुराल से अपने पिता के साथ आने का कथन किया है जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह बीमार होने के बाद में 2016 या 2017 के आसपास आई थी। चिडावा से उसका ईलाज करवाया तब उसके ससुराल वालो से कोई बातचीत नहीं होती थी। **उसका ईलाज झुन्झुनूं में 6–7 माह तक चला था। जब से बीमार होकर दिल्ली से आई थी तभी से यही पर है, वह दिल्ली नहीं गई। उसके बीमार होकर दिल्ली से उसके पीहर आने के बाद उसके ससुराल वालो से कोई संपर्क नहीं हुआ।** परिवादिया ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी से पहले मयंक की बहन की शादी हो चुकी थी और मयंक का बहनोई उनके पड़ौस में ही अलग जगह पर रहता था, मयंक के घर पर नहीं रहता था। उनकी सगाई में मयंक के घर वालो ने उपहार के रूप में उसे अंगुठी आदि गहने दिये थे तथा उनके घर पर राजीखुशी प्रोग्राम हुआ था, कोई दहेज की मांग मयंक के घर वालो ने नहीं करी थी, व ना ही मयंक ने उसके घरवालो से दहेज की मांग करी थी। प्रदर्श पी 01 वकील जी ने लिखी थी, उसने नहीं लिखी थी। जो उसने प्रदर्श पी 01 में आभुषण बताये है उसके बिल उसने पुलिस को नहीं दिये क्योंकि पुलिस वालो ने बिल मांगे ही नहीं थे। जो वह मोटरसाईकिल बता रही है वह दिल्ली से ही खरीदी थी जो कि उसके भाई ने उसके पति को दी थी, उसके मोटरसाईकिल के नंबर उसे पता नहीं है। कचोले में 1,31,000/–रूपये उसके पीहर वालो ने उसके सामने उसके ससुरालवालो को नहीं दिये। उसका विवाह दिनांक 22.11.2015 को राजीखुशी हुआ था उस समय किसी प्रकार की दहेज की मांग नही की गई थी। जब वह शादी के बाद पहली बार ससुराल गई तब उसका उन्होने बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया था, तब उसके साथ मयंक व उसके परिवार वालो के द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी। इस बात को परिवादिया ने सही बताया है कि उसका पति उससे बात नहीं करता था। उसे नहीं पता कि मयंक को कोई और लड़की पसंद हो। उसने मारपीट के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी व मारपीट वाली बाते बाद में उसने अपने घरवालों को बताई थी। **उसके पिताजी व उनके साथ और लोग भी दिल्ली समझाईश के एक बार ही गये थे लेकिन वो कितनी तारीख को गये थे उसे पता नहीं है। उसका भाई उसे एक बार ही लेने आया था और वह उससे मिलने गया था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जो केमिकल उसे देना बता रही है वह उसकी सास ही उसे पिलाती थी, उसके पति ने उसे नहीं पिलाया था। केमिकल उसकी सास को मिलाते हुये नहीं देखा था।**

22. गवाह दयाशंकर पी.डब्ल्यू 10 परिवादिया के भाई ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 13.08.2016 को वह विदेश से आया था और आकर ममता से मिलने गया था तो उसने देखा कि ममता के ससुराल वाले उसके साथ गलत रूप से व्यवहार कर रहे थे जिस पर उसने ममता से पूछा तो उसने बताया कि ये लोग दहेज की मांग को लेकर काफी तंग परेशान करते रहते है और उसके साथ मारपीट भी करते रहते हैं। जिस पर उसने ममता को ससुराल वालो को इस बात का उलाहना दिया व ममता को अपने साथ चिडावा ले आया। तब से वह करीब दो महीने तक चिड़ावा रही। उसके बाद ननदोई व उसके ससुराल पक्ष के कुछ मौजीज लोग उपस्थित आये और आईंदा दुर्व्यवहार नहीं करने का आवश्वासन देकर ममता को अपने साथ ले गये। किंतु कुछ दिन करीबन दो तीन माह तो उसके साथ अच्छे से रहे और फिर वे उसे दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने लग गये। ममता को खाने में केमीकल दिया जाता था जिससे उसी हालत काफी बिगड़ गई और **जिस पर उसने छिप कर उसे फोन किया और घटना के बारें में बताया तथा जिस पर वे लोग गाड़ी लेकर दिल्ली गये तो उसके ससुराल वाले उनके साथ झगड़ा करने लग गये और बीस लाख रूपये व एक गाडी देने पर ममता को रखने की बात कही। जिस पर वे ममता को चिडावा लेकर आ गये और उसका चिडावा में ईलाज करवाया। उसके बाद उसके पिताजी दुबई से छुट्टी आये और वो मौजीज लोगो को लेकर दिल्ली गये तथा उनको समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करी व गाली गलौच करने लगे व उन्हें धक्के मार से घर से बाहर निकाल दिया और बीस लाख रूपये व एक गाड़ी के बिना ममता को रखने से इंकार कर दिया।**

23. इस गवाह से की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कचौले में 1,51,000–/ रूपये दिये जाने का कथन किया है और इस बात की जानकारी नहीं होना बताया है कि शादी के समय मयंक के जीजा व उसकी बहन उसके ससुराल में ही रहते हो। गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके घरवालो ने उसको यह कभी नहीं बताया कि ममता को उसके ससुराल वाले तंग परेशान करते है और वह जब ममता से दिल्ली मिलने गया तब उसे आते समय उसकी स्थिति देखकर उसको साथ लेकर आया था। जब वह अपनी बहन को लेने गया तब उसकी तबीयत खराब थी। फिर कहा कि उसके ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ममता को उसकी माताजी झुंझुनू में अस्पताल में दिखाने गई थी। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि वे सन् 2016 दिल्ली में मीटिंग में गये थे जिसमें वह, उसके पिताजी व उसकी माताजी, व उसके मामाजी व उसकी बुआजी का लड़का, उसके जीजाजी, उसके ननदोई व एक संबंधी आदि लोग समझाईश हेतु दिल्ली गये थे। सभी मीटिंग वालो के बयान नहीं हुये थे, तीन लोगों के बयान हुये थे।

24. परिवादिया की माता शारदा देवी पी.डब्ल्यू 2 ने अपनी साक्ष्य के दौरान परिवादिया ममता से शादी के 4–5 दिन बाद ही दहेज की मांग को लेकर ममता को परेशान करने का कथन करते हुये मार्च 2016 में गणगौर पर ममता को ममता के पति, ननद, ननदोई छोडने के लिये आने तथा तब ममता द्वारा सारी बाते बताये जाने का कथन किया है और गणगौर पूजने के बाद उसके ससुर, दादी सास के साथ ममता को उसके ससुराल भेजना बताया है। इस गवाह ने दयाशंकर द्वारा ममता की हालत देखकर उसे साथ लेकर आना बताया है और उसके 2–3 महिने बाद मयंक और ममता के ससुर द्वारा लेने आने तथा उसने माफी मांगने पर उन पर विश्वास नहीं होने के कारण उनके साथ नहीं भेजना बताया है और फिर यह मुकदमा दर्ज करवाना बताया है। किन्तु इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान शादी में कचौले में पांच लाख रूपये दिये जाना बताया है और कथन किया है कि शादी के 4–5 दिन बाद जब ममता घर पर आयी थी तब शादी से खुश नहीं थी और चार दिन बाद से ही उसकी तबीयत खराब होना बताया है। इस गवाह ने अपनी जिरह में मयंक व उसके परिवार वालो द्वारा ममता से उसके सामने दहेज की मांग नहीं करना स्वीकार किया है और **अपने पति के सामने दहेज की मांग करना बताया है।** उन्होंने जो मोटरसाईकिल दी थी वह मंयक के नाम से देना बताया है। जबकि परिवादिया ने अपने परिवाद में अपनी माता के अपने पिता के साथ जाना बताया है।

25. गवाह रिद्धकरण पी.डब्ल्यू 3 ने अपनी साक्ष्य के दौरान शादी के करीब 10–15 दिन बाद उसकी बहन शारदा द्वारा ममता के साथ मारपीट होने की बात उसे फोन पर बताया जाना कथित किया है और दहेज में फोर व्हीलर व पांच लाख रूपये नकद की मांग करना बताया और उसके बाद वह, उसके जीजाजी और 5–10 आदमीयो द्वारा दिल्ली जाने व समझाईस किये जाने का कथन करता है। इस गवाह ने यह कथन किया है कि जब उन्होंने समझाईस की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे तथा वे ममता को लेने गये तो उन्होंने ममता को उनके साथ भेज दिया। फिर वे ममता को अपने साथ लेकर आये। उनमें से कोई ममता को लेने नहीं आया। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शादी में कचोला में एक लाख रूप्ये उसके आगे दिये थे। मयंक के घरवालो ने ममता के कोई आभूषण ना डाले हो, इस बात को गलत बताया है। इस गवाह ने शादी के 10–15 दिन बाद मयंक के घर मीटिंग लेकर जाने और उसी समय ममता को अपने साथ लेकर आने का कथन किया है और उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाना बताया है। इससे स्पष्ट है कि इस गवाह को परिवाद में वर्णित तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है और उसके द्वारा परिवाद से बिल्कुल हटकर परिवादिया व उसके परिवारजनो द्वारा दिये गये बयानो से पूर्णतयाः विरोधाभासी कथन किये गये है।

26. गवाह संतरा देवी पी.डब्ल्यू 5 ने परिवादिया की रिशतेदार होकर पूर्णतया पक्षद्रोही रहते हुये उसके समक्ष ममता से कोई दहेज की मांग किये जाने व अपने पुलिस बयान होने व उसके सामने मयंक द्वारा अपनी पत्नी ममता के साथ मारपीट किये जाने के तथ्यों से पूर्णतया इंकार किया गया है। गवाह कैलाशचंद्र जो कि अभियुक्त का रिश्तेदार है, ने ममता व मयंक के बीच आपसी मन मुटाव होने पर 2017 में चिडावा आने व ममता द्वारा मयंक के अन्य लडकियो के सम्पर्क में होने व उसे तंग परेशान किये जाने और उसके साथ मारपीट किये जाने तथा उसके पास नहीं आना बताये जाने और पंचायत का कोई नतीजा नहीं निकलने का कथन किया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मयंक ममता को लेने दो तीन बार आया था लेकिन ममता मयंक के साथ नहीं गयी। उसने मयंक को किसी दूसरी लडकी के साथ नहीं देखा था व ना ही उसे किसी अन्य लडकी से बातचीत करते हुये देखा व सुना था। गवाह लक्ष्मणराम पी.डब्ल्यू 7 ने पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित होते हुये अभियुक्त का मामा होकर यह कथन किया गया है कि उनकी आपस में अनबन हो गयी थी और इसके अलावा ओर कोई बात नहीं हुई थी। गवाह किशनलाल पी.डब्ल्यू 9 ने भी इस बात की ताईद की है कि शादी के करीब 6 महिने बाद इनका आपस में विवाद व मन मुटाव रहने लग गया था। बाद में उनके बीच मन मुटाव व विवाद को दुर करने के लिये दोनों पक्षों को बैठाकर एक मीटिंग की गयी थी, जिसमें ममता ने बताया कि मयंक दूसरी लडकियो को रखता है और उसे प्रताडित करता है इसलिये वह मयंक के साथ नहीं रहना चाहती है। इस गवाह से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि उसने मयंक व ममता का आपस में झगडा होते हुये नहीं देखा था। मीटिंग में लडकी ममता ने कहा था कि रात को देर से घर पर आता है और इसके दूसरी लडकी से संबंध है इस कारण वह इसके साथ नहीं रहना चाहती है। ममता ने उससे दहेज की मांग कर मयंक व मयंक के परिवार वालो द्वारा मारपीट करने की बात नहीं बताई थी और ना तो ममता ने अपना स्त्रीधन मांगा और ना ही मयंक और उसके परिवार वालो ने स्त्रीधन देने से इंकार किया।

27. परिवादिया ममता के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 13.08.2016 को प्रथम बार अपने भाई दयाशंकर के साथ पीहर आना बताया गया है और उसी समय उसे सारी बाते बताये जाने का कथन किया गया है, जबकि परिवादिया की माता शारदा परिवादिया की शादी के बाद मार्च, 2016 में गणगौर पर अपने पति, ननद, ननदोई के साथ पीहर आने व उसे सारी बाते बताये जाने के कथन करती है और परिवादिया का भाई दयाशंकर यह कथन करता है कि शादी होने के बाद उसकी बात ममता से नहीं हुई थी। उसकी अपने घर पर ही अक्सर बाते होती रहती थी जो सामान्यतः राजीखुशी की बातें होती थी। उसके घरवालो ने उसे कभी नहीं बताया कि ममता को उसके ससुराल वाले तंग परेशान करते है। इस प्रकार गवाह दयाशंकर द्वारा

ममता को लाने की दिनांक 13.08.2016 तक ममता के द्वारा उसे उसके ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान किये जाने की बाते बताये जाने के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। परिवादिया ने दो माह तक अपना ईलाज करवाये जाने व केमिकल पिलाये जाने के कथन किये है परन्तु परिवादिया को केमिकल पिलाये जाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाने व उसका ईलाज करवाये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में यह बात स्वीकार की है कि उसने मारपीट के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी और उसके पिताजी व उनके साथ और लोग भी दिल्ली समझाईस के लिये एक बार ही आये थे। वह कितनी तारीख को गये, उसे याद नहीं है। परिवादिया ने अपने पति मयंक के द्वारा केमिकल दिये जाने से भी इंकार करते हुये कथन किया है कि उसकी सास उसे केमिकल पिलाती थी और उसने उसकी सास को केमिकल मिलाते हुये कभी नहीं देखा। परिवादिया अपने परिवाद में दो माह तक ईलाज करवाना बताया है, जबकि अपनी साक्ष्य में 6–7 माह तक झुन्झुनूं से ईलाज चले होने का कथन करती है और जब वह बीमार होकर दिल्ली से आई, तब से अपने पीहर में रहने व उसके बाद दिल्ली नहीं जाना बताया है, जबकि परिवादिया ने अपने परिवाद में अपना ईलाज करवाने के बाद करवाचौथ पर अपने ससुराल जाने और उसके बाद अपने भाई के साथ पीहर आने के कथन किये गये है और दयाशंकर ने अपनी साक्ष्य में अपनी बहन ममता को पीहर लाने के पश्चात उसके पिता द्वारा रिश्तेदारों के साथ दिल्ली जाकर ममता के ससुरालवालो से समझाईस करने का कथन किया गया है, जबकि परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में अंतिम बार अपने पिता के साथ ससुराल से पीहर आना बताया गया है। अभियोजन की और से परीक्षित परिवादिया के मामा रिद्धकरण द्वारा अपनी साक्ष्य में परिवादिया की शादी के करीब एक साल बाद 2016 में पंचायत करने का कोई कथन नहीं किया गया है, अपितु परिवादिया की शादी के 10–15 दिन बाद ही पंचायत लेकर जाना बताया गया है। इस प्रकार परिवादिया तथा उसकी माता शारदा व उसके भाई दयाशंकर के कथनों में परिवादिया के पीहर आने व वापस जाने तथा समझाईश वार्ता के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है तथा परिवादिया की माता ने यह कथन किया है कि परिवादिया के पिता के सामने दहेज की मांग की गयी, जबकि परिवादिया के पिता को अभियोजन की आरे से न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है और परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान यह कथन किया गया है कि जब अभियुक्त व उसके परिवार वाले उसे लेने के लिये तो उसने इस आधार पर जाने से मना कर दिया कि उसका पति अपना पति धर्म नहीं निभा रहा है इसलिये वह उनके साथ नहीं जायेगी। परिवादिया तथा परिवादिया के भाई दयाशंकर, मामा रिद्धकरण व अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षीगण कैलाशचन्द्र, लक्ष्मणराम, किशनलाल ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि परिवादिया ने उनके समक्ष अभियुक्त व उसके परिवारजनो द्वारा दहेज की मांग

किये जाने के कारण उनके साथ नहीं जाना बताया हो अपितु परिवादिया द्वारा मयंक के दूसरी लड़कियो को रखने और उसे प्रताड़ित करना बताया जाना बताते हुये उसके साथ जाने से इंकार किया जाना कथित किया है। परिवादिया की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि वह अपनी शादी के पश्चात जब तक दिनांक 13.08.2016 तक अपने ससुराल में रही, इस अवधि के दौरान उसका अपने पति के साथ कोई पति पत्नी का संबंध नहीं रहा हो और दोनों के बीच में कभी दाम्पत्य संबंध भी स्थापित नहीं हुये हो। परिवादिया व उसकी माता तथा भाई दयाशंकर व मामा रिद्धकरण के द्वारा भी अपनी साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उनके द्वारा परिवादिया के स्त्रीधन की अभियुक्त से मांग की गयी हो और अभियुक्त द्वारा लौटाये जाने से इंकार कर दिया गया हो। अनुसंधान के दौरान परिवादिया को अभियुक्त द्वारा उसका स्त्रीधन लौटाये जाने की पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध फर्द जप्ती प्रदर्श पी 3 से होती है और परिवादिया का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि उसका स्त्रीधन अभियुक्त के पास हो और उसके द्वारा उसे खुर्द बुर्द कर दिया गया हो या अपने उपयोग उपभोग में सम्परिवर्तित कर लिया गया हो। जंहा तक अभियुक्त के द्वारा उसे दिया गया मोटरसाईकिल शादी के तीन चार दिन बाद ही बेचना बताया गया है तो इस संबध में न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को उपहार के रूप में दिया गया मोटरसाईकिल परिवादिया के स्त्रीधन की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार परिवादिया के साथ अभियुक्त द्वारा उससे बीस लाख रूपये व एक कार दहेज के रूप में मांग की जाकर मांग पुरी नहीं किये जाने पर उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता कारित किये जाने तथा उसका स्त्रीधन मांगे जाने पर नहीं लौटाये जाने संबंधी तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हो पाए है।

28. आपराधिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के लिये मामले को संदेह से परे साबित करना होता है। परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी परिवादिया ममता के साथ विवाह दिनांक 22.11.2015 से 10.11.2016 की अवधि में समय–समय पर परिवादिया के ससुराल व अन्य स्थान पर परिवादिया से दहेज के रूप में बीस लाख रूपये व एक कार की मांग की पूर्ति के लिए परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर व मारपीट कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो तथा परिवादिया का स्त्रीधन जो उसके पास न्यस्त था, परिवादिया के मांगने पर उसे न देकर बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया हो।

29. अतः अभियुक्त मयंक को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

30. एतद्द्वारा अभियुक्त मंयक पुत्र सतीश कुमार उम्र 35 साल, निवासी पश्चिम विहार बीजी 7 हाउस नंबर 65 सैकण्ड फलोर थाना पश्चिम विहार दिल्ली को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए राशि 10,000/– रूपये के जमानतनामा व बंध पत्र प्रस्तुत करे।

31. अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में जमानत पर है। अतः अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतद्द्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

32. प्रकरण में पीड़ित को हुई क्षति पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों एवं अनुसूची में वर्णित क्षति के दायरे में आना प्रकट नहीं हुई है। अतः पीड़ित प्रतिकर हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(मोहन लाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा

33. निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.06.2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहन लाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा